लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – अंकित कुमार सिंह, IAS.

प्रकरण संख्या : 02/ 2021
GCMS NO. : 2021/24

प्रार्थी/अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री सन्तोष कुमार जैन, सेवा निवृत अति. प्रशासनिक अधिकारी निवासी बी–140, अशोक विहार, कर्मचारी कोलोनी, अलवर।	बनाम	लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 30–06–2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु आवेदन दिनांक 01.04.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में अपीलार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना अपूर्ण उपलब्ध कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस क्रमांक 194–95 दिनांक 17.05.2021 जारी किया गया एवं अपीलार्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया। अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांक 28.05.2021 एवं 05.06.2021 से अवगत कराया गया कि वह कोविड 19 महामारी ,अवागमन के साधन बंद होने एवं व्यक्तिगत कारणो से व्यक्तिगत रुप से उपस्थित नही हो पाने से विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपना पक्ष रखने निवेदन किया। राज्य सरकार द्वारा कोविड 19 अन्तर्गत लगाई पाबंदीयों में राहत देने एवं आवागमन के साधन सुचारु होने के पश्चात् न्यायहित में अपीलांट को पत्रांक 228 दिनांक 14.06.2021 से अन्तिम सूचना पत्र जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रेषित कर उपस्थित होने सूचित किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में प्रार्थना पत्र दिनांक 22.06.2021 से अवगत कराया गया कि अपीलार्थी व्यक्तिशः न्यायालय में उपस्थित नही हो सकेगा एवं निवेदन किया कि अपीलार्थी के अपील मीमो पर गौर फरमाकर न्यायोचित निर्णय/आदेश पारित फरमा सकते है।

लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर), बॉसवाडा [illegible] पत्र क्रमांक 40(2) ए.डी.एम/आर.टी. आई/2021/210 दिनांक 19.05.2021 से जवाब प्रस्तुत किया कि प्रभारी [illegible] कारी स्थापना अनुभाग ने उनके पत्रांक 351–52 दिनांक 09.04.2021 से सूचना सिधे ही प्रार्थी को जरिये डाक उपलब्ध करा दी है। प्रकरण [illegible] ने 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

बिन्दुओ की सूचना चाही थी। कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर प्रार्थी को बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराई गई है। शेष बिन्दुओ की सूचना प्रश्नोत्तरी के रुप में होने से उपलब्ध नही कराई गई। चूकि प्रकरण में प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करा दी गई अतः प्रकरण में दायर अपील को समाप्त करने का कष्ट करे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा लोक सूचना अधिकारी (अति.जिला कलक्टर) बॉसवाडा द्वारा अपने पत्रांक 40(2) ए.डी.एम/आर.टी.आई/2021/210 दिनांक 19.05.2021 तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। अपीलार्थी द्वारा 8 बिन्दुओ पर चाही सूचना के तहत बिन्दु सं. 1, 2, 3, 7, 8 के सन्दर्भ में कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर सूचना उपलब्ध कराई गई है। शेष बिन्दु सं. 4, 5, 6 द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक/स्पष्टीकरण के संबंध में है। प्रत्यर्थी से प्रश्न किये गए, जिसके अन्तर्गत उसकी राय, स्पष्टीकरण एवं समुचित कारण दिये जाने हेतु निवेदन किया गया। इस तरह की जिज्ञासाओ का समाधान या स्पष्टीकरण आदि अधिनियम के अन्तर्गत नही दिया जाता है। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांकः प 3(22)प्रसु/सू.अ.प्र/06 जयपुर दिनांक 02.02.2009 अनुसार भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओ का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नो का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजुद है। अपीलार्थी को प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग ने उनके पत्रांक 351–52 दिनांक 09.04.2021 से बिन्दु सं. 1, 2, 3, 7, 8 के सन्दर्भ में कार्यालय में उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर सूचना उपलब्ध करवा दी है। शेष बिन्दु सं. 4, 5, 6 द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने से सूचित किया गया है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना के सन्दर्भ में प्रभारी अधिकारी स्थापना अनुभाग ने उनके पत्रांक 351–52 दिनांक 09.04.2021 से नियमानुसार सूचित किया जा चुका है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को भेजी जावे।

(अंकित कुमार सिंह) IAS,
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बांसवाडा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ankit Kumar Singh
Date: 2021.07.30 11:16:23 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner